न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—81 सन् 2023

गोपाल राय...वादी

बनाम

एजाजुल हक वगैरह...............................प्रतिवादी।

दिनांक—20.05.2025

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आवेदन दिनांक— 16.05.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में वादी के द्वारा दो बैनामा का सच्ची प्रतिलिपि दिनांक—08.05.2024 को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेन्ट के साथ न्यायालय में जमा किया है जिसका विवरण इस आवेदन के निचे दिया जाता है।

क. डीड संख्या—4099 दिनांक—23.06.1958 रामानंद महतो बनाम राम खेलारी राय वो लछी राय वल्दान—भंगी राय

ख. डीड संख्या—3801 दिनांक—09.07.1963 अब्दुल नशीव शाह बनाम श्री लछी राय वल्द श्री भंगी राय

उपरोक्त वर्णित बैनामा का सच्ची प्रतिलिपि लोक दस्तावेज के श्रेणी में आता है जिसको प्रदर्श मार्क करने में कोई कानूनी वाध्यता नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपर वर्णित बैनामा का सच्ची प्रतिलिपि के दस्तावेज का प्रदर्श मार्क अंकित करने का आदेश लेने की कृपा करे ताकि वादी हकरसी होवे।

उपरोक्त वाद में प्रतिवादी अनुपस्थित है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख को अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी प्रदर्श अंकित करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी को आवेदन में कथन है कि दो बैनामा का सच्ची प्रतिलिपि दिनांक—08.05.2024 को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेन्ट के साथ न्यायालय में जमा किया है जिसका विवरण इस आवेदन के निचे दिया जाता है। क. डीड संख्या—4099 दिनांक—23.06.1958 रामानंद महतो बनाम राम खेलारी राय वो लछी राय वल्दान—भंगी रायख. डीड संख्या—3801 दिनांक—09.07.1963 अब्दुल नशीव शाह बनाम श्री लछी राय वल्द श्री भंगी राय उपरोक्त वर्णित बैनामा का सच्ची प्रतिलिपि लोक दस्तावेज

के श्रेणी में आता है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से उक्त दाखिल दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श अंकित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16.05.2024 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।